



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2013/आषाढ़ 24, 1935

No. 354]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2013/ASADHA 24, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2013

New Delhi, the 15th July, 2013

सा.का.नि. 487(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की भारत सरकार के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 601 (अ), तारीख 16 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

G.S.R. 487(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 294AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G. S.R. 601 (E), dated the 16th July, 2010, namely:-

उक्त अधिसूचना के आरंभिक भाग में, “तीन वर्ष की कालावधि के लिए” शब्दों के स्थान पर “छह वर्ष की कालावधि के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

In the said notification, in the opening portion, for the words, “for a period of three years”, the words “for a period of six years” shall be substituted.

[फा. सं. -11/04/2013-सीएल-VI]

[F. No. 11/04/2013-CL. VI]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA, KUMAR, Jt. Secy.

टिप्पणः—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 601 (अ), तारीख 16 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 601(E), dated the 16th July, 2010, which has not been amended so far.